न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-474RAAJodhpur2024-197RTA223 Mohmmad Maksud Vs Ubedula etc

मोहम्मद मकसूद पुत्र अब्दूल रसीद, जाति मुसलमान, निवासी– ग्राम रिण, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. उबेदुला पुत्र शफी मोहम्मद
02. अजीजा खातु पत्नी उबेदुल्ला जातियान मुसलमान, निवासीगण बरकत बस्ती, फलोदी जिला फलोदी।
03. अब्दुल कादर पुत्र अब्दुल रसीद
04. अब्दुल राऊफ खातु पत्नी हबीबबुल्ला
05. कबुल पुत्र अब्दुल रसीद
06. अजीज खातु पत्नी अब्दुल रऊफ जातियान सिन्धी मुसलमान निवासी रिण तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
07. तेजसिंह पुत्र बचनसिह जाति राजपूत, निवासी बडा कोटेचा तहसील तिवरी, जिला जोधपुर।
08. श्रीमान तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 08

नि र्ण य

दिनांक : 04 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 अनवान उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 143/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर ग्राम मलार तहसील फलोदी के संबंध धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये के आदेश दिये गये। तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.11.2024 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया गया था। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के तलबी पत्र की प्रति उसी दिन विचारण न्यायालय में दे दी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण से मिलावट करते हुए हेराफेरी कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियत पेशी से पूर्व ही दिनाक 6.11.2024 को ही अन्तिम निर्णय व डिकी पारित की दी। प्रकरण विचारण न्यायालय में बंटवाडा प्रस्ताव के इन्तजार में लम्बित चल रहा था, जिसमें विधि अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव भी तैयार नही किया गया था। मामले में प्राथमिक डिक्री के अनुसार सभी सहखातेदारों का बंटवाडा प्रस्ताव मंगाये जाने का निर्णय पारित किया गया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में मात्र वादीगण का ही बंटवाडा कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो प्राथमिक डिक्री के विपरीत तैयार किया गया होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव भी दिनाक 05.11.2024 को तैयार किया गया होना बताया गया है, जिससे भी साबित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आनन फानन में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निष्फल करने की नियत से बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया तथा वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी अपीलार्थी को मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचित ही नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया। विभाजन प्रस्ताव में जमाबन्दी के रकबे व बंटवाडा प्रस्ताव के कब्जे के रकबे मे भीं अन्तर है। बंटवाडा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार करके प्रस्तुत किया गया है तथा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार फलोदी द्वारा तैयार नहीं किया गया होने के कारण भी विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 अनवान उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण रूप से पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व सभी पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार फलोदी द्वारा नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान् के कब्जे काश्त की स्थिति का ध्यान रखा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट सहित सभी खातेदारान् को दिनांक 04.11.2025 को नोटिस जारी कर विभाजन प्रस्ताव तैयारी हेतु दिनांक 05.11.2024 को मौके पर रहने के निर्देश दिये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का मलार द्वारा अपीलांट के व्यक्तिगत मोबाईल नंबर 8890279251 के वाट्सअप नंबर पर नोटिस भेज कर उसे सूचना दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाना पाया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.11.2024 में वक्त विभाजन मौके पर उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों में अपीलांट की उपस्थिति दर्ज है।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.11.2024 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार फलोदी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के हिस्से में रखी गई भूमि तथा अपीलांट सहित शेष पक्षकारान् के हिस्से की भूमि सड़क के चिपते स्थित है, जिससे उसके आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न हो।

रेस्पोडेंट्स की ओर से दिनांक 06.11.2024 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन की प्रति अपीलांट के अधिवक्ता को दिलाते हुए नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 अनवान उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-474RAAJodhpur2024-197RTA223 Mohmmad Maksud Vs Ubedula etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
मोहम्मद मकसूद पुत्र अब्दूल रसीद, जाति मुसलमान, निवासी– ग्राम रिण, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।	ब ना म	01. उबेदुला पुत्र शफी मोहम्मद 02. अजीजा खातु पत्नी उबेदुल्ला जातियान मुसलमान, निवासीगण बरकत बस्ती, फलोदी जिला फलोदी। 03. अब्दुल कादर पुत्र अब्दुल रसीद 04. अब्दुल राऊफ खातु पत्नी हबीबबुल्ला 05. कबुल पुत्र अब्दुल रसीद 06. अजीज खातु पत्नी अब्दुल रऊफ जातियान सिन्धी मुसलमान निवासी रिण तहसील फलोदी, जिला फलोदी। 07. तेजसिंह पुत्र बचनसिह जाति राजपूत, निवासी बडा कोटेचा तहसील तिवरी, जिला जोधपुर। 08. श्रीमान तहसीलदार फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि

यह अपील बतारीख 04 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 अनवान उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 नवंबर 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 04 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकालतनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर